



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 16 जुलाई, 2007 ई0

आषाढ़ 25, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1110/विधायी एवं संसदीय कार्य/2007

देहरादून, 16 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड जिला योजना समिति विधेयक, 2007 पर दिनांक 13 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04, सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007

(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04, वर्ष 2007)

जिला स्तर पर पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं के समेकन हेतु जिला योजना समिति का गठन करने और सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजना तैयार करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषांगिक विषयों हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो:-

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 है।

संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
प्रारम्भ

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में—

- (क) "विधान सभा की निर्वाचक नामावली" से राज्य विधान सभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र की ऐसी निर्वाचक नामावली अभिप्रेत है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबन्धों के अनुसार और उसके अधीन तैयार की गई हो;
- (ख) "समिति" से धारा 3 के अधीन गठित जिला योजना समिति अभिप्रेत है;
- (ग) "जिला स्तरीय अधिकारी" से जिले के ऐसे अधिकारी अभिप्रेत हैं जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;
- (घ) "क्षेत्र पंचायत" से "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961" (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 5 के अधीन स्थापित क्षेत्र पंचायत अभिप्रेत है;
- (ङ) "मंत्री" से उत्तराखण्ड सरकार की मंत्रि-परिषद् के सदस्य अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत राज्य मंत्री और उपमंत्री भी सम्मिलित हैं;
- (च) "नगर पालिका" से यथास्थिति उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन गठित किसी नगर निगम, किसी नगर पालिका परिषद् या किसी नगर पंचायत अभिप्रेत है;
- (छ) "जनसंख्या" से ऐसी अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गयी जनसंख्या अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गये हों;
- (ज) "ग्रामीण क्षेत्र" से नगरीय क्षेत्र से भिन्न कार्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (झ) "नगरीय क्षेत्र" से यथास्थिति किसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ञ) "जिला पंचायत" से "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961" (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 17 के अधीन स्थापित कोई जिला पंचायत अभिप्रेत है।

जिला योजना समिति का गठन

3. (1) प्रत्येक जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं के समेकन और सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने हेतु एक जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा।

(2) समिति विकास योजना का प्रारूप तैयार करने में—

(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी—

(एक) पंचायतों और नगर पालिकाओं के सामान्य हित के विषय, जिनके अन्तर्गत स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है,

(दो) उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार;

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

4. (1) प्रत्येक समिति सदस्यों की ऐसी संख्या से संरचित होगी जैसी विहित की जाए: जिला योजना समिति का संरचना  
परन्तु यह कि सदस्यों की संख्या पन्द्रह से कम और चालीस से अधिक नहीं होगी।
- (2) समिति के सदस्यों की कुल संख्या के चार बटा पाँच से अन्यून सदस्य जिला पंचायत और जिले में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विहित रीति से निर्वाचित किये जाएंगे।
- (3) जहाँ जिले के नगरीय क्षेत्र में एक से अधिक नगर पालिका समाविष्ट हों, वहाँ ऐसी नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से समिति के सदस्यों की संख्या जो ऐसी नगर पालिकाओं में ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, वितरित किया जायेगा।
- (4) समिति के शेष अधिकतम एक बटा पाँच सदस्य निम्नलिखित होंगे:-  
(क) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक मंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा,  
(ख) अध्यक्ष, जिला पंचायत,  
(ग) जिला मजिस्ट्रेट-पदेन सदस्य  
(घ) ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस उपधारा के अधीन सदस्यों की संख्या, समिति के कुल सदस्यों के एक बटा पाँच भाग से अधिक न होगी, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाये।
- (5) उपधारा (4) खण्ड (घ) के अधीन नाम निर्दिष्ट सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।
- (6) समिति का कोई सदस्य, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट नहीं करेगा।
- (7) यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य यथास्थिति नगर पालिका या जिला पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता है, जो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा।
- (8) यदि समिति के किसी निर्वाचित सदस्य का पद उसकी मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्य कारण से रिक्त होता है तो रिक्त को उपधारा (2) के अधीन उपबन्धित रीति से उसके शेष पदावधि के लिए भरा जायेगा।
5. समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्त के विद्यमान होने या समिति के गठन में त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगा। रिक्तियाँ इत्यादि समिति की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेंगी
6. (1) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णतः या मागतः जिले में समाविष्ट हैं, समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे। समिति के स्थायी आमंत्रित
- (2) राज्य सभा के सदस्य भी जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।
- (3) राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्य जो राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट किये गये हैं, अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।
- (4) ऐसी नगर पालिकाओं का, जो जिले के मुख्यालय पर स्थित हों, यथास्थिति नगर प्रमुख या अध्यक्ष, समिति के स्थायी आमंत्रित होंगे।
- (5) कोई भी स्थायी आमंत्रित, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट नहीं करेगा:

परन्तु यह कि जहाँ ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित से, जो भारत सरकार या उत्तराखण्ड सरकार की मंत्रि-परिषद् का सदस्य न हो, दो या अधिक जिलों में एक ही दिन ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो, वहाँ वह उस जिले को, जिसमें वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं है, समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा:

परन्तु यह और कि जहाँ ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित से, जो भारत सरकार या उत्तराखण्ड सरकार की मंत्रि-परिषद् का सदस्य हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो और वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में न हो, वहाँ वह समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

- समिति का सचिव 7. (1) मुख्य विकास अधिकारी समिति का सचिव होगा और वह समिति के अभिलेखों का अनुरक्षण करने, समिति की बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करने और विनिश्चयों और अन्य आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों की संसूचना देने के लिए उत्तरदायी होगा और समिति को ऐसी सहायता उपलब्ध करायेगा जो उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।
- स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए पद "मुख्य विकास अधिकारी" के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी सम्मिलित हैं।
- (2) जिले का अर्थ एवं संख्या अधिकारी, समिति का ऐसी रीति से, जैसी समिति द्वारा निदेशित की जाए, समिति की सहायता करने के लिए पदेन संयुक्त सचिव होगा।
- समिति के सदस्यों का निर्वाचन 8. राज्य निर्वाचन आयोग को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उस निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार होगा।
- समिति के कृत्य 9. समिति निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्—
- (क) राष्ट्रीय और राज्य योजना के उद्देश्यों के ढांचे के भीतर स्थानीय आवश्यकताओं और उद्देश्यों का अभिज्ञान करना,
- (ख) विकेन्द्रीकृत योजना के लिए और जिला और ब्लॉक संसाधन की पार्श्विका तैयार करने के लिए आंकड़ों का ठोस आधार तैयार करने हेतु जिले की प्राकृतिक और मानव संसाधन से सम्बन्धित सूचना को एकत्र, संकलित और अद्यतन करना,
- (ग) ग्राम, ब्लॉक, और जिला स्तर पर सुविधाओं को सूचीबद्ध करना और उनका मानचित्रण करना,
- (घ) उपलब्ध प्राकृतिक और मानव संसाधनों के अधिकतम और न्यायसम्मत उपयोग और समुपयोजन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के विकास के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं को अवधारित करना,
- (ङ) ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लिए तैयार की गयी पंचवर्षीय या वार्षिक विकास योजना के प्रारूप को, समग्र योजना के उद्देश्यों और रणनीतियों को दृष्टिगत रखते हुए उपान्तरित या संशोधित और समेकित करना,
- (च) राज्य सरकार को विकास योजना ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाए, प्रस्तुत करना,
- (छ) जिले के लिए रोजगार योजना तैयार करना,
- (ज) जिला योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का प्राक्कलन तैयार करना,
- (झ) जिला विकास योजना की समग्र रूपरेखा के भीतर सेक्टर और सब-सेक्टर के परिव्ययों का आवंटन करना,

- (ज) जिले में विकेन्द्रीकृत योजना की रूपरेखा के अधीन कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सेक्टर और केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों और विधान सभा-निर्वाचन क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजनायें भी हैं, के अधीन प्रगति का अनुश्रवण, मूल्यांकन और समीक्षा करना,
- (ट) जिला योजना में सम्मिलित की गयी योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार को नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,
- (ठ) ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का अभिज्ञान करना जिनके लिए संस्थागत वित्त की आवश्यकता हो और योजना के साथ पश्चात्गामी और अग्रवर्ती संयोजन का समुचित उपाय करना और ऐसे निवेश के अपेक्षित प्रवाह को सुनिश्चित करना,
- (ड) समग्र विकास प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग सुनिश्चित करना,
- (ढ) राज्य सरकार को, ऐसी राज्य क्षेत्रीय योजनाओं के सम्बन्ध में जिनका जिले के विकास की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण सम्बन्ध हो, सुझाव और संस्तुतियाँ देना,
- (ण) विभिन्न कार्यों और योजनाओं के लिए चयन को अन्तिम रूप देना,
- (त) कोई अन्य कृत्य, जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें।
10. (1) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे, जो यथास्थिति, ग्रामीण क्षेत्रों, के लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) और उत्तर प्रदेश, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) और नगरीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) में आगणित किये गये हों।
- (2) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे मामले भी आ सकेंगे जिन्हें समिति द्वारा आवश्यक समझा जाय या राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेशित करे।
11. (1) राज्य सरकार, जिला योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसाधनों का पता लगायेगी और उनका प्राक्कलन करेगी तथा तदनुसार जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा का विनिश्चय करेगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन नियत की गयी जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पुनरीक्षित या परिवर्तित की जा सकेगी।
12. समिति जिले के लिए विकास योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देगी।
13. (1) जिला योजना को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में जिलेवार धन के लिए उपबन्ध कर सकेगी और उसके सम्यक् विनियोग के पश्चात् एकमुश्त धनराशि जिलों को आवंटित करेगी।
- (2) राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट को धारा 12 के अधीन अन्तिम रूप से स्वीकृत जिला योजना के लिए वित्तीय मंजूरी देने की शक्ति होगी।
- (3) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, समिति, योजनाओं और कार्यक्रमों के परिव्यय को परिवर्तित, पुनरीक्षित या उपान्तरित कर सकेगी और जिला मजिस्ट्रेट धन का पुनः आवंटन विहित रीति से कर सकेगा।

जिला योजना का कार्यक्षेत्र

जिला योजना की अधिकतम सीमा

जिला योजना का अन्तिम रूप दिया जाना जिलों को धन का आवंटन

- विवाद का संकल्प 14. यदि समिति के कृत्य, उसकी शक्ति या अधिकारिता के सम्बन्ध में या किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में कोई विवाद या प्रश्न उत्पन्न होता हो, तो विवाद या प्रश्न को राज्य योजना आयोग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
- समिति की बैठक 15. (1) समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार जिला मुख्यालय पर ऐसे दिनांक और समय पर आयोजित की जायेगी, जो अध्यक्ष द्वारा नियत किये जायें।  
(2) समिति उसकी बैठक में उपस्थित होने के लिए विशेषज्ञों को, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जो विहित किये जायें, आमंत्रित कर सकेगी।  
(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, समिति का ऐसा अन्य सदस्य जिसे बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाए, समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- उप-समितियां 16. समिति इस अधिनियम के अधीन उसके किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए उप-समितियों का गठन कर सकेगी।
- समिति को कृत्य समनुदेशित करने की राज्य सरकार की शक्ति 17. राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जिला योजना समन्वय और अनुश्रवण से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों जिनसे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलाप आच्छादित होते हों और जो आवश्यक समझे जायें, समिति को समनुदेशित कर सकेगी।
- सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण 18. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
- नियम बनाने की शक्ति 19. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- समिति उसकी प्रक्रिया को विनियमित करेगी 20. राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए, समिति उसकी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित करेगी।
- कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति 21. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।  
(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते।
- अध्यारोही प्रभाव 22. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध समिति के गठन और उसके सदस्यों के निर्वाचन, योजना की संरचना और उसके आनुषंगिक या परिणामिक अन्य मामलों को सम्मिलित करते हुए, सभी मामलों में लागू होंगे।
- निरसन और अपवाद 23. (1) उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, वर्ष 1999) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में एतद्वारा निरसित किया जाता है।  
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारदान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,  
श्रीमती इन्दिरा आशीष,  
सचिव।

NO. 1110/XXXVI(4)/2007

Dehradun, Dated July 16, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttarakhand District Planning Committee Bill, 2007 (Uttarakhand Adhinyam Sankhya 04 of 2007).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on July 13, 2007.

THE UTTARAKHAND DISTRICT PLANNING COMMITTEE ACT, 2007

(UTTARAKHAND ACT No. 04 OF 2007)

AN

ACT

to constitute District Planning Committee at the district level for consolidation of plans prepared by the panchayats and the Municipalities in the district and preparation of draft development Plan for the district as a whole and for the matters connected therewith or incidental thereto—

Be it enacted by the Legislative Assembly in the 58<sup>th</sup> year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This act shall be called the Uttarakhand District Planning Committee Act, 2007. Short title, Extent and Commencement
- (2) It shall be applicable to the whole State of Uttarakhand.
- (3) It shall be deemed to have come into force at once. Definitions
2. In this Act--
  - (a) "Legislative Assembly Rolls" means the electoral rolls of any constituency of the Legislative Assembly prepared under and according to the provisions of the Representation of the People Act, 1950;
  - (b) "Committee" means the District Planning Committee constituted under section 3;
  - (c) "District level officer" means such officer of the district as the State Government, may, by notification, specify;
  - (d) "Kshetra Panchayat" means a Kshetra Panchayat established under section 5 of the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhinyam, 1961 (as applicable to the State of Uttarakhand and as amended from time to time);
  - (e) "Minister" means a member of the Council of Ministers of the Government of Uttarakhand and includes Minister of State and Deputy Minister;
  - (f) "Municipality" means a Municipal Corporation, a Municipal Council or a Nagar Panchayat constituted under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (as applicable to the State of Uttarakhand and as amended from time to time) or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (as applicable to the State of Uttarakhand and as amended from time to time), as the case may be;
  - (g) "Population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published;

- (h) "Rural area" means an area other than urban area;
- (i) "Urban area" means the territorial area of a Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayat, as the case may be;
- (j) "Zila Panchayat" means a Zila Panchayat established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshetra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (as applicable to the State of Uttarakhand and as amended from time to time).
- Constitution of District Planning Committee 3. (1) There shall be constituted in every district a District Planning Committee, to consolidate the plans prepared by the Panchayats and Municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole.
- (2) The Committee shall, in preparing the draft development plan—
- (a) have regard to—
- (i) matters of common interest between the Panchayats and Municipalities including spatial planning, sharing of water and other physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation,
- (ii) the extent and type of available financial or other resources;
- (b) consult such institutions and organizations as the Governor may, by order, specify.
- Composition of District Planning Committee 4. (1) Every Committee shall consist of such number of members as may be prescribed:
- Provided that the number of members shall not be less than fifteen and more than forty.
- (2) Not less than four-fifths of the total number of members of the Committee shall be elected in the prescribed manner by, and from amongst, the elected members of the Zila Panchayat and of the Municipalities in the district in proportion to the ratio between the population of the rural areas and of the urban areas in the district.
- (3) Where the urban area of the district comprises more than one Municipality, the number of members of the Committee from amongst the elected members of such Municipalities shall be distributed amongst such Municipalities in such manner as may be prescribed.
- (4) The remaining one-fifth members of the Committee shall be—
- (a) a Minister nominated by the State Government, who shall be the Chairperson of the Committee;
- (b) the Adhyaksha of the Zila Panchayat;
- (c) **the District Magistrate-ex-officio member;**
- (d) such other members as may be nominated by the State Government subject to the condition that the number of members under this sub-section shall not exceed one-fifth of the total members of the committee.
- (5) A member nominated under clause (d) of sub-section (4) shall hold office during the pleasure of the Governor.
- (6) No member of the Committee shall nominate any person as his representative to attend a meeting of the Committee on his behalf.



- (7) An elected member of the Committee shall cease to be member thereof if he ceases to be member of the Municipality or Zila Panchayat, as the case may be.
- (8) If the office of an elected member of the Committee falls vacant owing to his death, resignation or otherwise, the vacancy shall be filled for the residue of his term in the manner provided under sub-section (2).
5. No act or proceeding of the Committee shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Committee. Vacancies etc. not to invalidate proceedings of the Committee
6. (1) Members of the house of the people and members of the Legislative Assembly of the State, representing those constituencies which are comprised wholly or partly in the district, shall be permanent invitees to the meetings of the Committee. Permanent invitees to the Committee
- (2) Members of Council of the States representing the State shall also be permanent invitees to the meetings of the Committee of a District of their choice.
- (3) Members of the Legislative Assembly of the State as nominated by the Governor, shall also be permanent invitees to the Committee of the District of their choice.
- (4) The Nagar Pramukh or the Chairman as the case may be, of the Municipality situated at the Head Quarters of the district, shall also be permanent invitee to the Committee.
- (5) No permanent invitee shall nominate a person as his representative to attend a meeting of the Committee on his behalf :
- Provided that where a permanent invitee, who is not a member of the Council of Ministers of the Government of India or the Government of Uttarakhand, has been required to attend such meeting in two or more district on the same day, he/she may nominate a person as his representative to attend the meeting of the committee of a district in which he/she is not in a position to attend such meeting:
- Provided further that where a permanent invitee, who is a member of the Council of Ministers of the Government of India or the Government of Uttarakhand, has been required to attend such meeting, may nominate a person as his representative to attend the meeting of the committee if he is not in a position to attend such meeting.
7. (1) **Chief Development Officer of the district shall be the Secretary** of the Committee and shall be responsible for maintaining records of the Committee, preparing minutes of the Committee, and communication of decision and all others incidental or ancillary matters and shall make available to the Committee such assistance as may be necessary for the discharge of its functions. Secretary of the Committee
- Explanation**—For the purpose of this sub-section the expression "Chief Development Officer" includes Chief Executive Officer.
- (2) The Economic and Statistics Officer of the district shall be the ex-officio Joint Secretary of the Committee to assist the Committee in such manner as may be directed by the Committee.

- Election of the members of the Committee
8. The State Election Commission shall have superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls of, and the conduct of, elections of the members of the Committee in such manner as may be prescribed.
- Functions of the Committee
9. The Committee shall perform the following functions, namely :—
- (a) To identify local needs and objectives within the frame work of national and state plan objectives;
  - (b) To collect, compile and update information relating to natural and human resources of the district to create a sound database for decentralized planning and preparation of district and block resources profiles;
  - (c) To list and map amenities at village, block and district levels;
  - (d) To determine policies, programmes and priorities for development of the district, in order to ensure maximum and judicious utilization and exploitation of available natural and human resources;
  - (e) To modify or amend and consolidate the draft Five Year or Annual Development Plan prepared for the rural and urban areas, keeping in view the over-all plan objectives and strategies;
  - (f) To submit development plan to the State Government in such manner as may be prescribed;
  - (g) To prepare employment plan for the district;
  - (h) To prepare estimate of financial resources for financing the district plan;
  - (i) To allocate sectoral and sub-sectoral outlays within the overall frame work of the district development plan;
  - (j) To monitor, evaluate and review progress under the schemes and programmes being implemented in the district under the decentralized planning framework including central sector and centrally sponsored schemes, and the Local Area Development Schemes of Parliamentary Constituencies and Assembly Constituencies;
  - (k) To submit regular progress reports to the State Government in respect of schemes included in the district plans;
  - (l) To identify schemes and programmes which require institutional finance, device appropriate forward and backward linkages with the plans and ensure requisite flow of such investment;
  - (m) To ensure participation of voluntary organizations in over-all development process;
  - (n) To make suggestions and recommendations to the State Government with regard to the State Sector Schemes having significant bearing on the process of development of the district;
  - (o) To finalize site selection for different works and schemes;
  - (p) Any other functions, which may be entrusted by the State Government.
- Scope of the District Plan
10. (1) The District Plan shall include subjects enumerated in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (as applicable to the State of Uttarakhand and as amended from time to time) and the Uttar Pradesh Kshettra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam, 1961 (as applicable to the State of Uttarakhand and as amended from time to time) for the rural areas, or the Uttar Pradesh

Municipalities Act, 1916 (as applicable to the State of Uttarakhand and as amended from time to time) or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (as applicable to the State of Uttarakhand and as amended from time to time) for urban areas, as the case may be.

- (2) The district plan may also include such other matters as may be considered necessary by the Committee or as the State Government may, by order, direct.
11. (1) The State Government shall inquire into and estimate the financial resources for financing the District Plan and shall decide the district plan outlay ceiling accordingly. District Plan Ceiling
- (2) The District Plan outlay ceiling fixed under sub-section (1) may be revised or altered at any time during the financial year by the State Government.
12. The Committee shall finalize the draft development plan for the district. Finalisation of the District Plan
13. (1) For the purpose of the implementation of district plan, the State Government may, subject to District Plan outlay ceiling make district-wise provisions for money in its annual financial statement and after due appropriation thereof shall allocate in lump-sum to the district. Allocation of money to districts
- (2) Subject to the supervision and control of the State Government, the District Magistrate shall have power to accord financial sanctions for the District Plan, finalized under section 12.
- (3) Subject to the District Plan outlay ceiling fixed by the State Government, the committee may alter, revise or modify outlay of the schemes and programmes of the District Plan and the District Magistrate may reallocate the money in the manner prescribed.
14. If any dispute or question arises in relation to function, powers or jurisdiction of the committee or in relation to any other matter, the dispute or question shall be referred to the State Planning Commission whose decision thereon shall be final. Resolution of Disputes
15. (1) The meeting of the Committee shall be held at least once in every quarter at the district Headquarters on such date and time as may be fixed by the Chairperson. Meetings of the Committee
- (2) The Committee may invite experts to attend its meeting on such terms and conditions as may be prescribed.
- (3) In the absence of the Chairperson, such other member of the committee as may be chosen by the members of the committee present in the meeting, shall preside over the meeting of the committee.
16. The Committee may constitute Sub-committees to discharge any of its functions under this Act. Sub-Committees
17. The State Government may, by order, assign to the Committee such functions relating to the district plan co-ordination and monitoring, covering the activities of different departments of the State Government as may be deemed necessary. Power of the State Government to assign functions to the committee
18. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is done in good faith or intended to be done, in pursuance of this Act or the rules made thereunder. Protection of action taken in good faith

- Power to make rules 19. The State Government may by notification, make rules for carrying out the purpose of this Act.
- Committee to regulate its procedure 20. Subject to any rule made by the State Government, the committee shall regulate its own procedure.
- Power to remove difficulties 21. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.
- (2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as, may be after it is made, be laid before the State Assembly and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (as applicable to the State of Uttarakhand and as amended from time to time) shall apply as they would apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act (as applicable to the State of Uttarakhand and as amended from time to time).
- Over-riding effect 22. Notwithstanding anything contained to the contrary in any other law for the time being in force, the provisions of this Act shall apply in all matters including constitution of the committee and election of members thereof, formulation of plan and other matters incidental or consequential thereto.
- Repeal and savings 23. (1) The Uttar Pradesh District Planning Committee Act, 1999 (Uttar Pradesh Act No. 9 of 1999) (as applicable to the State of Uttarakhand and as amended from time to time) is hereby repealed in the context of the Uttarakhand State.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Act referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,

Secretary.